न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 04/2023

राजकुमार पुत्र हरनारायण, जाति जाट, निवासी नाटास, तहसील गुढा गोड़जी, जिला झुंझुनू।

–अपीलांट

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी, तहसील गुढा गौड़जी, जिला झुंझुनू।

–रेस्पोडेंटस

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा–गौड़जी
उनवानी सरकार बनाम राजकुमार, अं0 धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 42/2022 निर्णय दिनांक 27.06.2022

उपस्थितिः–

1 .श्री विनोद गिल, एडवोकेट ——————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ———————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 31.03.2023

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.06.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम राजकुमार मु0 नं0 42/2022 अ. धारा 91 एल. आर. एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार नायब तहसीलदार गुढा–गौड़जी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि – अपीलार्थी के विरूद्ध हल्का पटवारी नाटास ने भूमि गत खसरा नंबर 8/1 मीन हाल खसरा नंबर 117 रकबा 1.84 हैक्टर में से 0.45 हैक्टर भूमि मकान व चार दिवारी बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट की है। अपीलार्थी ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलार्थी के पास रिहायस का ग्राम नाटास में अन्य कोई भुखण्ड नहीं है। उक्त भुखण्ड में पूर्व में अपीलार्थी के पूर्वज रिहायश करते थे। अपीलार्थी की उक्त रिहायस ठिकाना समय से है। अपीलार्थी उक्त भूखण्ड पर ठिकाना समय से आबाद [illegible] बिसाऊ तहसील नुंआ की सम्वत 2043 की लगान की रसीदे है सम्वत 1943, 1944 [illegible] लगान की रामकरण के नाम रसीदे है तथा सम्वत 1960, 1962 की भी लगान की रसीद है, इसलिए अपीलार्थी [illegible] पूर्वज

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:42 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

सम्वत 2043 से उक्त भुखण्ड पर मकान बनाकर आबाद हैं। अपीलार्थी ने कोई नया अतिक्रमण नहीं किया है। हल्का पटवारी ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्त 1956 दिनांक 23.5.1956 को प्रभाव में आया, जबकि अपीलार्थी के पूर्वज सम्वत 2043 ठिकाना समय से मकान बनाकर आबाद हैं। ठिकाना के समय उक्त भूमि का लगान ठिकाना में जमा करवाया। लेण्ड रेवेन्यु एक्ट भुतलक्षी प्रभाव से लागु नहीं है। सम्वत 2043 में आबाद व्यक्तियों को लेण्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा 91 के तहत बेदखल नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी के पूर्वज उक्त भूमि पर ठिकाना बिसाऊ की इजाजत से आबाद हुये। इसलिये लॉफूल अथोर्टी की इजाजत से उक्त भूमि पर आबाद हुये व मकान बनाये। अपीलार्थी व अपीलार्थी के पूर्वज अतिक्रमी की तारीफ में नहीं आते। धारा 91 लेण्ड रेवेन्यु एक्त अपीलार्थी के प्रकरण में लागू नहीं होता। अदालत मातहत ने अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली का निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.2022 को निरस्त किया जावे व पत्रावली अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जावे की अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये तथा अपीलार्थी को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देते हुये पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– अपीलार्थी के विरूद्ध हल्का पटवारी नाटास ने भूमि गत खसरा नंबर 8/1 मीन हाल खसरा नंबर 117 रकबा 1.84 हैक्टर में से 0.45 हैक्टर भूमि मकान व चार दिवारी बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट की है। अपीलार्थी ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलार्थी के पास रिहायस का ग्राम नाटास में अन्य कोई भुखण्ड नहीं है। उक्त भुखण्ड में पूर्व में अपीलार्थी के पूर्वज रिहायश करते थे। अपीलार्थी की उक्त रिहायस ठिकाना समय से है। अपीलार्थी उक्त भूखण्ड पर ठिकाना समय से आबाद है। ठिकाना बिसाऊ तहसील नुंआ की सम्वत 2043 की लगान की रसीदे हैं सम्वत 1943, 1944 की लगान की [illegible] के नाम रसीदे है तथा सम्वत 1960, 1962 की भी लगान की रसीदें है, इसलिए अपीलार्थी के पूर्वज सम्वत 2043 से उक्त भुखण्ड पर मकान बनाकर आबाद हैं। अपीलार्थी ने कोई नया अतिक्रमण नहीं किया है। हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:42 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

पटवारी ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्त 1956 दिनांक 23.5.1956 को प्रभाव में आया, जबकि अपीलार्थी के पूर्वज सम्वत 2043 ठिकाना समय से मकान बनाकर आबाद हैं। ठिकाना के समय उक्त भूमि का लगान ठिकाना में जमा करवाया। लेण्ड रेवेन्यु एक्ट भुतलक्षी प्रभाव से लागु नहीं है। सम्वत 2043 में आबाद व्यक्तियों को लेण्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा 91 के तहत बेदखल नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी के पूर्वज उक्त भूमि पर ठिकाना बिसाऊ की इजाजत से आबाद हुये। इसलिये लॉफूल अथोर्टी की इजाजत से उक्त भूमि पर आबाद हुये व मकान बनाये। अपीलार्थी व अपीलार्थी के पूर्वज अतिक्रमी की तारीफ में नहीं आते। धारा 91 लेण्ड रेवेन्यु एक्त अपीलार्थी के प्रकरण में लागू नहीं होता। अदालत मातहत ने अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली का निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.2022 को निरस्त किया जावे व पत्रावली अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जावे की अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये तथा अपीलार्थी को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देते हुये पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा–गौड़जी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विवादित भूमि पर अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से ही राजस्थान लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 लागू होने से पूर्व से ही ठिकाना बिसाऊ की इजाजत से विवादित भूमि पर आवासीय मकान बनाकर आबाद हैं, इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा पुराने कब्जे के संबंध में ठिकाना बिसाऊ की रसीदे एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी गिरदावरी स्लिप आदि का अवलोकन कराया गया। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2022 में इन दस्तावेजात के संबंध में कोई विवेचना नहीं की और ना ही कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:42 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

फाईडिंग दी गई। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। ऐसी स्पष्ट फाइडिंग दी है, ऐसी स्थिति मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा–गौड़जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2022 के विरूद्ध अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2022 उनवानी सरकार बनाम राजकुमार मु0नं0 42/2022 धारा 91 एल.आर.एक्ट निरस्त किया जाता है। प्रकरण नायब तहसीलदार गुढा–गौड़जी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि कि विवादित भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण करें तथा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विवादित भूमि पर उनके पुराने कब्जे के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजात की पूर्ण विवेचना करते हुये विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करेंगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:42 IST
Reason: SelfAttested